न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2018 (रसद)
पंजीयन दिनांक 16.07.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00134

राज्य सरकार जरिए श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री प्रभूराम पिता परसराम जाट निवासी जीवाणा, तहसील फतहनगर, जिला उदयपुर

-विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितिः- 1-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.2017 को पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण की पुलिस उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर वन्दना खोरवाल, जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, सुरेश कुमार खटीक, उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़, हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी व भंवर लाल नाई प्रवर्तन निरीक्षक के साथ राजस्थानी ढ़ाबा पहुंच मौके पर जांच दल द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त जांच मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला। उसकी पहचान पूछने पर उसने अपना नाम श्री प्रभूराम पिता परसराम जाट निवासी जीवाणा थाना फतहनगर, जिला उदयपुर बताया। राजस्थानी ढ़ाबे के पीछे बने कमरों में 4 ड्रम जिसमें 2 लोहे के एवं 2 प्लास्टिक के पाये गये। उक्त ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ का भरा होना पाया गया। इस पर श्री प्रभूराम जाट से पूछने पर उसने बताया कि उक्त ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है जो राष्ट्रीय राजमार्गो पर चलने वाले टैंकरों से खरीदा गया है तथा उसको लोगों को बेचने के लिए काम में लेते हैं। तत्पश्चात् उक्त ड्रमों को कमशः मार्का A, B, C, D लगाकर नापा गया तो उक्त 4 ड्रमों में कुल 410 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। मौके पर भरे हुए ड्रमों में से नमूना लिया गया और प्रभूराम पिता परसराम जाट द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ रखने, व्यापार करने हेतु आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया। इस प्रकार श्री प्रभूराम पिता परसराम जाट द्वारा आवश्यक

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थ आदेश 1990 व भा. द. सं. की धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध पाया जाने से जब्तशुदा 410 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को जब्त कर जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। विपक्षी श्री प्रभूराम पिता परसराम जाट निवासी जीवाणा थाना फतहनगर, जिला उदयपुर के प्रतिष्ठान राजस्थानी ढाबे के पीछे बने हुए कमरों में 4 ड्रमों में कुल 410 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से मौके पर भरा हुआ पाया गया तथा उक्त स्थान पर विपक्षी के पास कोई अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स भी नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षी द्वारा अपने प्रतिष्ठान/होटल पर इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 410 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 01.05.2017 को जब्तशुदा कुल 410 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 410 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official